प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 556/1998

अनील मिश्रा

विरुद्ध

मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ)

दाण्डिक अपील क्रमांक 818/1998

विनय सिंह

विरुद्ध

मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ निर्णय

सही/–

एल.सी. भादू

न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.के. श्रीवास्तव

सही/–

श्री वी.के. श्रीवास्तव

न्यायाधीश

निर्णय पारित करने हेतु दिनांक 15/09/2006 को सूचीबद्ध किया गया

सही/–

एल.सी. भादू

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 556/1998

अनील मिश्रा

विरुद्ध

मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ)

दाण्डिक अपील क्रमांक 818/1998

विनय सिंह

विरुद्ध

मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितिः

दांडिक अपील क्रमांक 556/1998 में अपीलार्थी की ओर से	:	श्री गोविंद राम मिरी, अधिवक्ता सहित श्री रतन पुस्ती, अधिवक्ता
दांडिक अपील क्रमांक 818/1998 में अपीलार्थी की ओर से	:	श्री एम.के. बेग, अधिवक्ता
राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री यू.एन.एस. देव, अतिरिक्त लोक अभियोजक सहित श्री डी.के. ग्वालरे, उप–शासकीय अधिवक्ता

युगल पीठः

माननीय न्यायमूर्ति श्री एल.सी. भादू एवं माननीय न्यायमूर्ति माननीय श्री वी.के. श्रीवास्तव

निर्णय

(15 सितंबर, 2006 को उदघोषित)

माननीय न्यायमूर्ति श्री एल.सी.भादू द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया :–

1. अपीलार्थी अनिल मिश्रा द्वारा प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमाकं 556/98 और अपीलार्थी विनय सिंह द्वारा प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमाकं 818/98 का इस समान निर्णय द्वारा निराकरण किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों अपीलें एक ही घटना से संबंधित सत्र विचारण क्रमाकं 418/95 में पारित एक ही निर्णय से उद्भूत हुआ हैं।

2. ये अपीलें 3 फरवरी, 1998 को अंबिकापुर, जिला सरगुजा के विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र विचारण क्रमाकं 418/95 में पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके अधीन विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 450 और 376 (2) (छ) के अधीन अपराध कारित करने के लिए अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को सिद्धदोष करते हुए प्रत्येक अभियुक्त/अपीलार्थी को क्रमशः 10 वर्ष के सश्रम कारावास और आजीवन कारावास से दंडित किया था। अभियुक्त विनय सिंह को भारतीय आयुध अधिनियम की धारा 25 (1–ख) (क) के अधीन सिद्धदोष किया गया तथा 3 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया था। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि सभी सजाएँ साथ– साथ भोगे जायेंगे।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में यह है कि दिनांक 13.8.1995 की रात्रि में अभियोक्त्री अपने परिवार के सदस्यों अर्थात अपने पति, ससुर और तीन बेटियों के साथ नेहरू वार्ड, अंबिकापुर स्थित अपने घर में सो रही थी। रात्रि लगभग 23.30 बजे अभियुक्तगण ने दरवाजा खोलने के लिए खटखटाया, लेकिन अभियोक्त्री ने दरवाजा नहीं खोला। हालांकि, कुछ समय बाद उसकी छोटी बेटी शौच के लिए जाना चाहती थी, इसलिए जब अभियोक्त्री अपनी बेटी को शौच के लिए घर से बाहर ले जाने के लिए दरवाजा खोली, तो अभियुक्तगण बलपूर्वक घर में घुस गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अभियुक्तगण ने अभियोक्त्री के बाल पकड़ लिए और मुक्के से मारपीट करने लगे। अभियुक्त विनय सिंह के पास एक देशी पिस्टल था, जिससे उसने अभियोक्त्री पर हमला किया। जब अभियोक्त्री के पति ने बीच–बचाव करने की कोशिश की, तो उसके साथ भी मारपीट की गई। अभियुक्त विनय सिंह के आदेश पर अभियुक्त अनिल मिश्रा ने अभियोक्त्री को आंगन में

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

ले जाकर फर्श पर पटककर उसके साथ बलात्संग कारित किया। अभियुक्त विनय सिंह ने अभियोक्त्री की बड़ी बेटी 'वी' को एक कमरे में ले जाकर उसके साथ बलात्संग कारित किया। इसके बाद अभियुक्तगण अभियोक्त्री की दो बेटियों को बलपूर्वक अपने साथ ले गए, पहचान छिपाने के उद्देश्य से उनका नाम 'वी एंड एस' बताया गया है। अभियुक्तगण ने अभियोक्त्री की बड़ी बेटी 'वी' के साथ पहले लगभग 100 गज की दूरी पर एक पेड़ के नीचे बलात्संग कारित किया और उसके बाद वे उन्हें ग्राम गंगापुर ले गए और वहां कमरे में अभियुक्तगण ने 'वी' के साथ पुनः बलात्संग कारित किया। अभियोक्त्री ने तत्काल रात्रि में ही पुलिस थाना अंबिकापुर जाकर 2.30 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर थाना प्रभारी ने धारा 450 एवं 376 (2)(छ) भा.दं.सं. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभियोक्त्री के पति को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया, डॉ. जे.के. जैन (अ.सा.–1) ने चोटों का परीक्षण किया और चिकित्सीय परीक्षण (प्र.पी–1) तैयार की। चिकित्सक ने अभियोक्त्री के पति के शरीर पर तीन चोटें पाईं, अर्थात्

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

क. खोपड़ी के बाएं पार्श्विका क्षेत्र के पीछे के भाग पर 3 सेमी x 0.5 सेमी x 0.5 सेमी मापने वाला एक फटा हुआ घाव "Y" आकार में।

ख. बाएं हाथ के ऊपरी भाग पर 6 सेमी x 4 सेमी के आकार का एक नील घाव।

ग. छाती के दाईं ओर के मध्य भाग और निचले हिस्से के पीछे के पहलू पर 10 सेमी x 2 सेमी के आकार का एक नील घाव। कोमलता मौजूद थी।

4. अभियोक्त्री को भी चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. प्रतिभा राजुल जैन (अ.सा.–2) ने अभियोक्त्री के शरीर का परीक्षण किया और रिपोर्ट प्र.पी–2 तैयार की। उन्होंने निम्नलिखित चोटें देखीं:

क. बायीं भौं के बाहरी हिस्से पर 1 सेमी x 0.5 सेमी के आकार में एक खरोच का निशान था ।

ख. बायें गाल पर 0.3 सेमी x 0.1 सेमी के आकार में 3–4 छोटे खरोच के निशान थे।

ग. गर्दन के दाहिने हिस्से, दाहिने हँसली और छाती के दाहिने हिस्से पर आधे सेमी से 3 सेमी के आकार में अनेकों खरोच के निशान थे।

बलात्संग की पुष्टि करने के लिए उसका परीक्षण भी की किया गया, हालांकि, चिकित्सक ने कहा कि चूंकि हाइमन के टूटने का पुराना अभ्यास था और अभियोक्त्री लगभग 40 वर्ष की महिला थी, इसलिए वह संभोग के लिए अभ्यस्त थी। अन्वेषण अधिकारी ने अभियोक्त्री की साड़ी और पेटीकोट को प्र.पी–5 के रुप में अपने कब्जे में ले लिया और पाया कि साड़ी पर सफेद और लाल रंग के धब्बे थे और पेटीकोट पर मानव वीर्य के समान 4 धब्बे थे।

5. सामान्य अन्वेषण के बाद, अभियुक्त/अपीलार्थीगण के विरुद्ध विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को विद्वान सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर को सौंप दिया, जहां से विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर ने प्रकरण को विचारण के लिए स्थानांतरित कर दिया। अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त/अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप साबित करने के लिए 8 साक्षियों का परीक्षण किया। दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त/अपीलार्थीगण के कथन दर्ज किए, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में उनके विरुद्ध प्रस्तुत की गई साक्ष्य से इनकार किया और कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्हें अपराध में झूठा फंसाया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने संबंधित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के पश्चात, इस निर्णय के कंडिका–1 में उल्लिखित तरीके से अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को सिद्धदोष एवं दंडित किया ।

7. हमने श्री गोविंद राम मिरी, श्री रतन पुस्ती, अपीलार्थी–अनिल मिश्रा के विद्वान अधिवक्ता, श्री बेग, अभियुक्त–विनय सिंह के विद्वान अधिवक्ता और श्री यू.एन.एस. देव, अतिरिक्त लोक अभियोजक तथा श्री डी.के. ग्वालरे, उप–शासकीय अधिवक्ता को राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से सुना है।

8. अभियुक्त/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोक्त्री और उसकी बेटी 'एस' अ.सा.–4 के प्रतिपरीक्षण के अनुसार, पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था और आसपास के कुछ दूरी पर अन्य व्यक्ति भी रहते थे, लेकिन अन्वेषण अधिकारी ने उनका परीक्षण नहीं किया, क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण नहीं किया गया, इसलिए अभियुक्त/अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि से सही नहीं है। अभियोक्त्री और उसकी बेटी के प्रतिपरीक्षण की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित

करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोक्त्री और उसकी बेटियाँ सहज सदाचार वाली महिलाएँ हैं, क्योंकि अभियोक्त्री ने पहले रामसेवक से विवाह किया था और उसके बाद उसने उसे अभित्यक्त कर दिया और वर्तमान व्यक्ति के साथ रहने लगी। अभियोक्त्री की बेटी 'एस', जिसकी अ.सा.–4 के रूप में परीक्षण किया गया है, रामकुमार नामक व्यक्ति के साथ अपना घर छोड़कर चली गई थी और वह कुछ दिनों तक उसके साथ रही। इसलिए, उनके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता तथा अभियुक्त व्यक्तियों को अपराध में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियोक्त्री ने कहा है कि उसे ज़मीन पर गिराने के बाद उसके साथ बलात्संग कारित किया गया, जबकि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई। अभियोक्त्री (अ.सा.–3) और उसकी बेटी 'एस' अ.सा.–4 के साक्ष्यों में विरोधाभास हैं। उन्होंने पुलिस के कथन और अभियोक्त्री के न्यायालयीन साक्ष्यों के बीच कुछ विरोधाभासों की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. अभियुक्त/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात, हमने विचारण न्यायालय के साक्ष्य और अभिलेखों का अवलोकन किया है। जहां तक स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण न करने और स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोक्त्री के साक्ष्य की पुष्टि किए बिना तर्क का संबंध है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इस बिंदु पर विधि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा अच्छी तरह से स्थापित है कि लैंगिक उत्पीड़न की पीड़िता को एक सहयोगी के रूप में नहीं माना जा सकता है, इसलिए, उसके साक्ष्य को चिकित्सक के साक्ष्य सहित किसी अन्य साक्ष्य से पुष्टि की आवश्यकता नहीं है और यदि किसी दिए गए प्रकरण में पीड़िता की जांच करने वाले चिकित्सक को बलात्संग कारित करने का कोई संकेत नहीं मिलता है, तो अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है। अभियोक्त्री धारा 118 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम साक्षी है, इसलिए, उसके साक्ष्य को वही महत्व दिया जाना चाहिए जो शारीरिक हिंसा के प्रकरणों में आहत व्यक्ति को दिया जाता है और उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में आहत शिकायतकर्ता या साक्षी के प्रकरण में दी गई सावधानी और सतर्कता की ही श्रेणी में होनी चाहिए और इससे अधिक नहीं। हालांकि, न्यायालय को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि वह एक ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य से निपट रहा है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में रुचि रखता है। यदि न्यायालय इस कारक को ध्यान में रखता है और संतुष्ट महसूस करता है कि वह अभियोक्त्री के साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 के दृष्टांत (ख) के समान विधि या अभ्यास का नियम सम्मिलित है, जिसके अनुसार उसे संपुष्टि की खोज करनी होगी। हालांकि, किसी प्रकरण में, यदि

किसी कारण से न्यायालय अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य पर अंतर्निहित निर्भरता रखने में हिचकिचाता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की खोज कर सकता है, जो उसके साक्ष्य को एक साथी के प्रकरण में आवश्यक पुष्टि से कम आश्वासन दे सकता है। अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य को आश्वस्त करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति अनिवार्य रूप से प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होनी चाहिए। अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य पर भरोसा करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति अनिवार्य रूप से प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होनी चाहिए। अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि आधारित हो सकती है, यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है और किसी भी दुर्बलता और अविश्वसनीयता से ग्रस्त नहीं है। जब प्रकरण के अभिलेख में दिखाई देने वाली परिस्थितियों की समग्रता से पता चलता है कि अभियोक्त्री के पास अधिरोपित व्यक्ति को झूठा फंसाने का कोई ठोस हेतुक नहीं है, तो न्यायालय को सामान्यतः उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। भारतीय महिलाओं में ऐसे अपराध को छिपाने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा के साथ–साथ उनके परिवार की प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है। यह सर्वविदित है कि महिलाओं के विरुद्ध बड़ी संख्या में दांडिक प्रकरण पुलिस को रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं क्योंकि उन्हें भय होता है कि पुलिस को प्रकरण की सूचना देने से न केवल अभियोक्त्री की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी, बल्कि समाज की दृष्टि में उसके परिवार की पूरी प्रतिष्ठा भी नष्ट हो जाएगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. **महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन** एआईआर 1990 सर्वोच्च न्यायालय 658 के प्रकरण में में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

> "लैंगिक अपराध की अभियोक्त्री को सह-अपराधी के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। वह वास्तव में अपराध की पिडिता है। सामान्यतः उस अभियोक्त्री का साक्ष्य स्वीकार किया जाना चाहिए जिसमें समझ की कमी न हो। आवश्यक प्रमाण की श्रेणी आहत साक्षी से अपेक्षा से अधिक नहीं होनी चाहिए। सामान्य तौर पर अभियोक्त्री के साक्ष्य को उसी तरह महत्व दिया जाना चाहिए, जैसा कि हिंसा के शिकार आहत व्यक्ति के लिए होता है, जब तक कि विशेष परिस्थितियाँ न हों, जो अधिक सावधानी की मांग करती हैं, ऐसी स्थिति में यदि उसके आरोप को आश्वस्त करने वाले स्वतंत्र साक्ष्य हैं, तो उसके परिसाक्ष्य पर भरोसा करना सुरक्षित होगा।

विरलतम से विरल प्रकरणों को छोड़कर संपुष्टि पर जोर देना, किसी महिला को किसी अन्य की वासना की शिकार बनाने के लिए अपराध में सहयोगी के बराबर मानना है और इस तरह नारीत्व का अपमान करना है। किसी महिला को यह बताने के लिए अपमानित करने जैसा होगा कि उसकी दुख भरी कहानी पर तब तक विश्वास नहीं किया जाएगा जब तक कि अपराध में सहयोगी के प्रकरण में भौतिक विवरणों में इसकी पुष्टि न हो जाए। लैंगिक व्यवहार के प्रकरण में हमारा समाज रूढ़िवादी है। हमारा समाज पश्चिमी और यूरोपीय देशों का अनुमोदक नहीं है। सार्वजनिक जीवन में शालीनता और नैतिकता का हमारा मानक उन देशों जैसा नहीं है। हालाँकि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में नारीत्व के प्रति सम्मान में कमी आ रही है और छेड़छाड़ और बलात्संग के प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं। एक भारतीय महिला को अश्लील टिप्पणियों से लेकर छेड़छाड़, छेड़छाड़ से लेकर बलात्संग तक, विभिन्न प्रकार के अपमान सहने पड़ते हैं। सार्वजनिक जीवन में शालीनता और नैतिकता को तभी बढ़ावा दिया और संरक्षित किया जा सकता है जब न्यायालय सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटें। न्यायालय को यह भी समझना चाहिए कि सामान्यतः कोई महिला, विशेषकर युवा लड़की, अपनी पवित्रता के संबंध में कोई झूठा आरोप लगाकर अपनी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगाएगी।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. **मदन गोपाल कक्कड़ बनाम नवल दुबे (1992) एआईआर एससीडब्लू 1408** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि;

"अभियोक्त्री के मौखिक संपुष्टि का अभाव सुरक्षित दोषसिद्धि के अभिलेख में बाधा नहीं बनता, बशर्ते कि पीडिता का साक्ष्य किसी भी मूल दुर्बलता से ग्रसित न हो, तथा 'संभाव्य कारक' उसे विश्वसनीयता के अयोग्य न ठहराए, तथा सामान्य नियम के रूप में, संपुष्टि पर जोर नहीं दिया जा सकता, सिवाय चिकित्सा साक्ष्य के, जहां प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, चिकित्सा साक्ष्य के आने की उम्मीद की जा सकती है।

12. **पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह एवं अन्य एआईआर 1996 सर्वोच्च न्यायालय 1393** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित कया है कि:

"लैंगिक अपराधों के प्रकरणों में पीड़िता का परिसाक्ष्य महत्वपूर्ण है और जब तक ऐसे बाध्यकारी कारण न हों, जिनके लिए उसके कथन की पुष्टि की आवश्यकता हो, न्यायालयों को अभियुक्त को दोषसिद्धि के लिए लैंगिक उत्पीड़न की पीड़िता के परिसाक्ष्य के आधार पर ही कार्यवाही करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जहां उसका परिसाक्ष्य विश्वास उत्पन्न करती है और विश्वसनीय

पाई जाती है। ऐसे प्रकरणों में, उस पर भरोसा करने से पहले उसके कथन की पुष्टि की मांग करना, चोट पर नमक छिड़कने के समान है। बलात्संग या लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत करने वाली लड़की या महिला के परिसाक्ष्य को संदेह, अविश्वास के साथ क्यों देखा जाना चाहिए? अभियोक्त्री के परसाक्ष्य की विवेचना करते समय न्यायालय अपने न्यायिक विवेक को संतुष्ट करने के लिए उसके कथन से कुछ आश्वासन की उम्मीद कर सकता है, क्योंकि वह एक साक्षी है जो अपने द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में रुचि रखती है, लेकिन अभियुक्त की दोषसिद्धि के आधार पर उसके कथन की पुष्टि पर जोर देना विधि की आवश्यकता नहीं है।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की विवेचना करने के तरीके भी निम्नानुसार निर्धारित किए हैं:–

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"इसलिए, बलात्संग के आरोप में अभियुक्तों पर विचारण करते समय न्यायालयों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। उन्हें ऐसे प्रकरणों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटाना चाहिए। न्यायालयों को प्रकरण की व्यापक संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और अभियोक्त्री के कथन में सुक्ष्म विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो घातक प्रकृति के नहीं हैं। अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन को खारिज किया जाना चाहिए। यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है, तो उस पर भौतिक विवरणों में उसके कथन की पुष्टि किए बिना भरोसा किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से न्यायालय को उसके परिसाक्ष्य पर अंतर्निहित भरोसा करना कठिन लगता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की साथी के प्रकरण में आवश्यक पुष्टि के अलावा ऐसे साक्ष्य की खोज कर सकता है जो उसके परिसाक्ष्य को आश्वस्त कर सके । अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य का पूरे प्रकरण की पृष्ठभूमि में विवेचना किया जाना चाहिए और विचारण न्यायालय को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग होना चाहिए और लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े प्रकरणों का निराकरण करते समय संवेदनशील होना चाहिए।

13. **दिलीप एवं एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एआईआर 2001 एससी 3049** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:

"..लैगिक अपराध में अभियोक्त्री कोई सह–अभियुक्त नहीं है और विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसके परिसाक्ष्य पर तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती और उसे दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता जब तक कि भौतिक विवरणों में उसकी पुष्टि न हो जाए। हालांकि, पुष्टि की स्वीकार्यता के विषय में नियम न्यायाधीश के स्वविवेक में होना चाहिए। **हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम ज्ञान चंद, (2001) एससीसी 71** के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के पुनर्विलोकन पर, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बलात्संग के अपराध के लिए दोषसिद्धि अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य पर आधारित हो सकती है जिसकी चिकित्सा साक्ष्य और अन्य परिस्थितियों जैसे रासायनिक परीक्षण की रिपोर्ट आदि से पुष्टि हो, यदि यह स्वाभाविक, भरोसेमंद और विश्वास करने योग्य पाया जाता है। इस न्यायालय ने आगे कहा: "यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है, तो उस पर भौतिक विवरणों में उसके कथन की पुष्टि किए बिना भरोसा किया जाना चाहिए। अगर किसी कारण से न्यायालय को उसके परिसाक्ष्य पर पूरी तरह भरोसा करना कठिन लगता है, तो वह ऐसे साक्ष्यों की खोज कर सकती है, जो उसके परिसाक्ष्य को पुष्ट कर सकें, लेकिन साथी के प्रकरण में पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं होती। अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य को पूरे प्रकरण की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए और विचारण न्यायालय को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग रहना चाहिए और लैगिक उत्पीड़न से जुड़े प्रकरणों के निराकरण करते समय संवेदनशील होना चाहिए....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. विमल सुरेश कांबले बनाम चालुवेरापिनाकेपाल एस.पी. और एक अन्य (2003) 3 केस 175 के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:

"अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि स्वीकार्य है, परंतु यह तब जब अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता हो तथा स्वाभाविक और सत्य प्रतीत होता हो।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **छत्तीसगढ़ राज्य बनाम लेखराम 2006 क्रि.एल.जे. 2139** (सर्वोच्च न्यायालय) के प्रकरण में में इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया है।

15. अतः अभियोक्त्री के साक्ष्य की विवेचना करते समय, यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य न्यायालय का विश्वास और न्यायिक विवेक जगाता है और अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है, जिससे पता चले कि किसी शत्रुता के कारण या किसी अन्य व्यक्ति के आदेश पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रतिशोध लेने के लिए झूठा प्रकरण बनाया गया है, तो न्यायालय को अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य को दोषसिद्धि के रूप में दर्ज करना चाहिए। प्रश्नाधीन अपराध मध्य रात्रि में किया गया था और अभियोक्त्री (अ.सा.–3) और उसकी पुत्री 'एस' अ.सा.–4 के साक्ष्य में यह आया है कि अभियुक्तगण मध्य रात्रि में बलपूर्वक घर में घुसे, अभियुक्त विनय सिंह के पास देशी रिवाल्वर था, पहले तो उसने अभियोक्त्री के पति पर प्रहार किया और उसके बाद अभियोक्त्री पर रिवाल्वर की नोक पर उन्हें डराने के बाद अभियोक्त्री के साथ बलात्संग कारित किया गया, जो अभियोक्त्री और उसकी पुत्री 'एस' अ.सा.–4 के साक्ष्य से स्पष्ट है। अभियोक्त्री और उसकी बेटी ने कहा है कि भय के कारण कोई शोर नहीं मचाया गया, इसलिए पड़ोसी को अपराध का पता नहीं चला, इसके अलावा, यह आधी रात का समय था जब व्यक्ति को गहरी नींद में होता है, इसलिए, यदि कोई व्यक्ति आगे नहीं आया है, तो इसके लिए अभियोक्त्री को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह भी सर्वविदित है कि आम तौर पर कोई भी सामान्य व्यक्ति, पीड़िता के हित के बिना, अपराध होने पर आगे नहीं आता है। इस प्रकार, हमें अभियुक्त/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क में कोई सार नहीं मिलता कि किसी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण नहीं किया गया है।। अभियोजन पक्ष के साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कुछ भी सुझाया या उजागर नहीं किया गया है कि अभियोक्त्री द्वारा उनके विरुद्ध किसी शत्रुता के कारण या उनके विरुद्ध प्रतिशोध लेने के लिए उन पर झूठा प्रकरण थोपा गया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि भारतीय समाज की महिलाएं आम तौर पर, भले ही उनके विरुद्ध कोई अपराध हुआ हो, वे प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आती हैं, इसलिए, क्यों एक महिला बिना किसी कारण के अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की प्रतिष्ठा को दाव पर लगाकर किसी व्यक्ति के विरुद्ध झूठा आरोप लगाएगी। यहां तक कि अभियोक्त्री और उसकी बेटी के साक्ष्य की पुष्टि डॉ. जे.के. जैन (अ.सा.–1) के चिकित्सा साक्ष्य से होती है, जिन्होंने अभियोक्त्री के पति की चोटों की जांच की है, उन्होंने कहा है कि उनकी चिकित्सीय परीक्षण प्र.पी–1 के अनुसार खोपड़ी के बाएं पार्श्व भाग पर एक कटा–फटा हुआ घाव, बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में चोट और छाती के दाहिने हिस्से के मध्य भाग और निचले हिस्से के पीछे के हिस्से में चोट है। इसी प्रकार, अ.सा.–2 डॉ. (श्रीमती) प्रतिभा राजुल जैन, जिन्होंने अभियोक्त्री की जांच की और चिकित्सीय परीक्षण प्र.पी–2 तैयार की, ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि बायीं भौं पर भौं

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के बाहरी तरफ 1 सेमी x 0.5 सेमी के आकार में खरोंच के निशान थे। बाएं गाल पर 0.2 सेमी x 0.1 सेमी के आकार में 3–4 छोटे खरोंच के निशान उपस्थित थे, गर्दन के दाहिनी ओर और छाती के दाहिनी ओर 3 सेमी के आकार में एक और खरोंच का निशान था। इसलिए, अभियोक्त्री और उसके पति के शरीर पर ये चोटें अभियोक्त्री के साक्ष्य की पुष्टि करती हैं कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उनके साथ शारीरिक हिंसा की गई थी।

16. जहां तक अभियुक्त/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए गए इस बिन्दु का संबंध है कि अभियोक्त्री और उसकी बेटियां सहज सद्गुणी महिलाएं हैं, प्रथम दृष्टया, प्रतिपरीक्षण में अभियोक्त्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसका पति रामसेवक, जिससे उसकी तीन बेटियां हैं, 13 वर्षों तक वह उसके साथ रही। वह रामसेवक के साथ नहीं रह सकी क्योंकि उसके किसी अन्य महिला से संबंध स्थापित हो गए थे और वह उस महिला को लेकर आया था। उसने उसे अभित्यक्त नहीं किया है। यह सत्य है कि 'एस' अ.सा.–4 ने स्वयं साक्ष्य में स्वीकार किया है कि एक बार वह राजकुमार नामक व्यक्ति के साथ 3–4 दिनों के लिए घर से बाहर गई थी, लेकिन इस घटना से यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोक्त्री और उसकी बेटियां एक ही सहज सद्गुण वाली महिला थीं और मात्र इस आधार पर साक्षियों के परिसाक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता, साथ ही, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इन कारणों से भी कि बचाव पक्ष प्रतिपरीक्षण में यह साबित नहीं कर पाया कि उन पर झूठा प्रकरण थोपा गया है और सबसे बुरी बात यह है कि सहज सद्गुण वाली महिला को भी अपने व्यक्तित्व की रक्षा करने का अधिकार है और उसके परिसाक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता और उसे सावधानी से देखा जाना चाहिए। **महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम मधुकर नारायण मार्डीकर (1991) 1 सर्वोच्च न्यायालय केस 57** के प्रकरण में कंडिका–8 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:

> "... सहज सद्गुण वाली महिला भी निजता की हकदार है और कोई भी जब चाहे उसकी निजता में हस्तक्षेप नहीं दे सकता। इसी तरह हर व्यक्ति को जब चाहे उसके निजता का हनन करने की छूट नहीं है। अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके व्यक्तित्व का हनन करने का प्रयास किया जाता है तो वह अपने व्यक्तित्व की रक्षा करने की हकदार है। वह विधि के संरक्षण की भी समान रूप से हकदार है। इसलिए, केवल इसलिए कि वह सहज सद्गुण वाली महिला है, उसके साक्ष्य को

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। अधिक से अधिक उसके साक्ष्य की विवेचना करने के लिए नियुक्त कार्यालय को उसके साक्ष्य को स्वीकार करने से पहले स्वयं को सचेत करना होगा..."

इसलिए, हमारे सामने अभियोक्त्री और उसकी बेटी 'एस' अ.सा.-4 के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कारण नहीं है।

17. जहां तक अभियुक्त/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आशय के तर्क का प्रश्न है कि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई, जबकि बलात्संग फर्श पर किया गया बताया गया है, प्रथम दृष्टया, चिकित्सीय परीक्षण (प्रपी-2) के अनुसार अभियोक्त्री के गाल पर अभियुक्त अनिल मिश्रा द्वारा काटने के कारण चोट चिकित्सक द्वारा पहले ही देखी जा चुकी थी तथा छाती पर भी चोट चिकित्सक द्वारा देखी गई थी। उसकी बायीं भौं पर हमले के कारण एक अन्य चोट भी देखी गई थी। तथापि, शरीर के अन्य भागों पर चोटों के निशान का संबंध है, प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि जिस सतह पर बलात्संग किया गया वह खुरदरी थी, कुछ अन्य कठोर सतह के कण थे, जिसके बिना यह नहीं माना जा सकता कि शरीर के अन्य भागों पर चोटों का न पाया जाना अभियोक्त्री के साक्ष्य में संदेह उत्पन्न करता है। जैसा कि साक्ष्य में यह बात सामने आई है कि अभियुक्त/अपीलार्थीगण ने पहले अभियोक्त्री पर हमला किया तथा उसके पश्चात देशी रिवाल्वर की नोक पर उसके साथ बलात्संग कारित किया, इसलिए अभियोक्त्री के शरीर पर चोटों का पाया जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. तर्क के दौरान अभियुक्त/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को यह समझाने का प्रयास किया कि पुलिस के कथन, न्यायालय के साक्ष्य तथा अभियोक्त्री और उसकी बेटी "एस" अ.सा.-4 के परिसाक्ष्य में कुछ विरोधाभास हैं, इन विरोधाभासों को हमने भी देखा है, लेकिन वही तुच्छ विसंगतियां हैं, जो सामान्य तौर पर नैसर्गिक साक्ष्य में होती हैं। ये विसंगतियां ऐसी प्रकृति की नहीं हैं, जिससे अभिलेख पर उपलब्ध परिस्थितियों और साक्ष्यों की समग्रता को देखते हुए घटना के घटित होने पर संदेह उत्पन्न हो।

19. इसलिए, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी अभियोक्त्री के घर में बलपूर्वक घुसकर उसके साथ सामूहिक बलात्संग कारित करने के लिए घुसे थे, जो आजीवन कारावास से दंडनीय है, इसलिए, उन्हें भा.दं.सं. की धारा 450 के अंतर्गत उचित ढंग से दोषसिद्ध किया

गया है। इसी तरह, अभियुक्त/अपीलार्थी अभियोक्त्री के साथ बलात्संग कारित करने के एक सामान्य आशय से घर में घुसे और सामान्य आशय को आगे बढ़ाते हुए अभियुक्त अनिल मिश्रा ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग कारित किया और उस समय अभियुक्त विनय सिंह अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ कमरे में बैठा था और उन्हें धमका रहा था। इसके बाद, अभियुक्त विनय सिंह ने अभियोक्त्री की बेटी 'वी' के साथ बलात्संग कारित किया। इस प्रकार, उन्हें भा.दं.सं. की धारा 376 (2) (छ) के अधीन अपराध कारित करने के लिए उचित ढंग से दोषसिद्ध किया गया है। अभियुक्त विनय सिंह की निशानदेही पर एक देशी रिवॉल्वर बरामद किया गया था और उसके पास उस हथियार को रखने का कोई वैध लाइसेंस नहीं था, इसलिए, उसे भारतीय आयुध अधिनियम की धारा 25 (1–ए) (ख) के अधीन भी उचित ढंग से दोषसिद्ध किया गया है। इसलिए, हम भा.दं.सं. की धारा 450, 376 (2) (छ) और भारतीय आयुध अधिनियम की धारा 25 (1–ए) (ख) के अधीन अपराध कारित करने के लिए अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के दंडादेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं पाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अभियुक्त/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपराध के समय अभियुक्त अनिल मिश्रा छात्र था और अभियुक्त विनय सिंह चालक के रूप में कार्य कर रहा था, अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वे इस तरह के अपराध कारित करने के आदी हैं और वे दिनांक 18.8.1995 से जेल में निरुद्ध हैं, इस प्रकार वे 11 वर्षों से अधिक समय से जेल में निरुद्ध हैं, इस प्रकार वे पहले से ही काटी गई सजा के लिए रिहा किया जाये और उस प्रयोजन के लिए अभियुक्त/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने झारखंड उच्च न्यायालय के **2004 के क्रि.एल.जे. 3375 में सांगी हैम्ब्रम और अन्य बनाम बिहार राज्य (वर्तमान झारखंड)** के बीच दिए गए निर्णय का अवलंब लिया जिसमें पांच अभियुक्तगण ने अभियोक्त्री के साथ दो बार बलात्संग कारित किया जब वह अपने घर में सो रही थी। अभियुक्त अभियोक्त्री के घर में इस तरह से घुसे और उसका बलात्संग कारित किया कि वह अपने कपड़े पहनने और चलने में असमर्थ हो गई। न्यायालय ने यह मानते हुए कि अभियुक्त व्यक्ति 22–29 वर्ष की आयु के हैं और अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि उन्होंने इसी तरह का सामूहिक बलात्संग कारित किया है, उन्हें लगभग 11 साल की सज़ा काट कर रिहा कर दिया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने छत्तीसगढ राज्य बनाम लेखराम (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी अवलंब लिया, जिसमें अप्राप्तवय बालिका के साथ बलात्संग कारित किया गया था और सज़ा घटाकर 14 वर्ष कर दी गई थी।

21. इस प्रकरण में भी अपराध के समय अभियुक्त अनिल मिश्रा की उम्र लगभग 25 वर्ष थी और अभियुक्त विनय सिंह की उम्र भी लगभग 25 वर्ष थी और अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि वे इस तरह का अपराध करने के आदी हैं। वे पिछले 11 वर्ष से अधिक समय से जेल में निरुद्ध हैं, इसलिए हमारा मानना है कि अगर उन्हें पहले से काटी गई सजा के लिए रिहा कर दिया जाए तो न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा।

22. परिणामस्वरूप, अभियुक्तों/अपीलार्थीगण की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं, जबकि भा.दं.सं. की धारा 450 और 376 (2) (छ) के अधीन उनकी सजा यथावत रखी गई है और साथ ही भारतीय आयुध अधिनियम की धारा 25 (1–ए) (ख) के अधीन अभियुक्त–विनय सिंह की सजा भी यथावत रखी गई है। धारा 376 (2) (छ) के अधीन अभियुक्तों/अपीलार्थीगण पर लगाए गए आजीवन कारावास की सजा को घटाकर पहले से ही भुगती गई सजा अर्थात 11 वर्ष और 29 दिन कर दिया गया है। सत्र विचारण क्रमाकं 419/95 में अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को अधिरोपित दंड, जिसे दांडिक अपील क्रमाकं 558/98 और 779/98 में पहले से ही भुगती गई सजा अर्थात 11 वर्ष से अधिक कर दिया गया है, को सत्र प्रकरण क्रमाकं 418/95 में अधिरोपित सजा के साथ–साथ चलाने का निर्देश दिया गया है, जिसे इन अपीलों में घटा दिया गया है। यदि किसी अन्य प्रकरण में इसकी आवश्यकता न हो तो अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को तत्काल रिहा किया जाए ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सही/–
एल.सी. भादू
न्यायाधीश

सही/–
वी.के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .... Vijay Kumar Sahu , Advocate